

फर्द अहकाम
नियम 26

अज अदालत.....उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा.....मुकाम.....भादरा.....

चुनीराम बनाम रान्दीप आदि

किस्म मुकदमा 251 ए आरटीएक्ट

नं० 31/20.06.22 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तारीख जजरी हुक्म
20-06-22	आज यह प्रकरण प्रार्थी की ओर से पेश किया गया। रिपोर्ट सिंगेदार होने के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 15.07.2022 को पेश हो	
15/7/22	पत्रावली पेश हुई वकील शर्मा उपर अप्रार्थी प्र० 1/2/22 की ओर से एड. निरंज शर्मा ने वाहर नाम पेश किया, पत्रावली वाहे राठी मित्र 10/8/22 को पेश हो	
10/8/22	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी उपर अप्रार्थी व दिनांक 13/9/22 को पेश हो।	
15/9/22	वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उपर पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते... दिनांक 12/10/22 को पेश हो।	
12/10/22	वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उपर पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते... दिनांक 02/11/22 को पेश हो।	
9/11/22	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी उपर अप्रार्थी व दिनांक 22/11/22 को पेश हो।	
22/11/22	पत्रावली पेश हुई वकील शर्मा उपर अप्रार्थी प्र० 1/2/22 की ओर से वाहर नाम पेश करने के लिए एड. निरंज शर्मा ने अप्रार्थी दर्ज की। पत्रावली वाहे राठी मित्र 9-12-22 को पेश हो।	

विराड



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व फर्द अहक हुकम की जारी
------------	---------------------------------	-------------------------------

नुकमान लोग/ अह: पार्थना का प्राणी
 मज्ज रवारीज दिख जावे।

अविगापन जन की वदत पर मनन
 दिया न पत्रावली में पृष्ठ 24 वां जहाँ
 हा अवतोरन दिख गप्प पत्रावली में
 राजवान मरगर राजाव (ग्रुप-6) विभाग
 के परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज-6/03/पाई/4
 दिनांक 24/12/2014 के अनुक्रम में पाईप
 लाईन हेतु रूधरीवदार भादव में मौका
 रिपोर्ट प्राप्त की गई। अत्राकि रूधरीवदार
 भारत रिपोर्ट पूर्ण द्वारा चाबु रान्हा
 में दोमट नीचे नीचे पाईप लाईन डालना
 वहाल गप्प है। रान्हा के दोनो शोर्ट
 नरमा की कसल भी वहाई गई है।
 प्राणी को अपनी खाटे घरी भूमि में
 सिंचाई सुविधा हेतु पाईप लाईन बनने
 दिमा रूड ले जाना आवश्यक प्रतिदोस्त
 है। अंकि उम्ह पत्राकि पाईप लाइन के
 हेतु नरमा के आम-पाम अप्राणीगण
 की कसल भी खड़ी है। तो पाईप लाईन
 डाबो मज्ज प्राणी ध्यान में रखें कि खड़ी
 कसल को नुकमान ना पहुँचावे। अह:
 पार्थना का प्राणी अन्तर्गत घात धन नि
 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकृत
 दिख जात है।

उपरोक्त विवेचानुसार पार्थना का
 प्राणी स्वीकार दिख जात है

(Signature)


तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ

हवा आदेश पारित किया जाता है कि राजस्थान ग्राहकरी अधिनियम में परिचित प्रावधानों (a) पार्सल लाइन ड्रम में ड्रम साईज, हीन कीट नीची अपवा प्रमीन में (b) हृदयविराट ड्राग बहावे जाने हेम नमूना के अनुमात लेही गोंजा चक्र 20 AMS के मु० न० 70 के डिता व 1, 10, 11, 20, 21 में पश्चिम की तरफ गोंजा पर चालु शम्हा के नीचे प्रार्थी पार्सल ड्रागने हेडु बंधन है। इस हेडु अपवागीगण में पाबन्द किया जाता है कि वे डिमी भी प्रमात में बाधा उत्पन्न ना करे। हवा प्रार्थी में निर्देशित किया जाता है कि पार्सल लाइन ड्रागने हमम अपवागीगण के दिम्मा में रक्डी फमत को अनुमान ना पहुचावे हवा भाव-भावन की शम्हा की मिट्टी आदि के समतलीकरण का कार्य पूर्ण होने परावली बम्बर में ड्रम की जात कारखाना स्थित है।

निर्णय आदेश दिनांक 14/8/24 में विरवाच्य पागट में स्थित नुनाय गणनी

 14-08-24